१२.३.२.३

राजस्व वाद 108/2018
जीसीएमएस नंबर 2018/00177
जगदीशराम बनाम रामकरण वगैरह

— : : आदेश : : —

वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार या जाकर मौजा उवारी तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 439, 532/439, /82, 389 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3, 4 को प्रतिवादी संख्या 2 के साथ खातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 4018 नांक 1.10.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है जो निर्णय का भाग रहेगा, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी जगदीश के हक बंट में ग्राम उवारी का खेत खसरा नंबर 439 रकबा 1.9911 हैक्टेयर में से 0.9955 हैक्टेयर पश्चिमी भाग, खसरा नंबर 532/439 रकबा 0.8903 हैक्टेयर में से 0.4452 हैक्टेयर दक्षिणी भाग , खसरा नंबर 531/82 रकबा 1.4002 हैक्टेयर में से 0.6961 हैक्टेयर पश्चिमी भाग (दक्षिणी सींव पर 14 फीट भूमि रास्ते को छोड़कर) रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 रामकरण के हक बंट में ग्राम उवारी का खेत खसरा नंबर 439 रकबा 1.9911 हैक्टेयर में से 0.9956 हैक्टेयर पूर्वी भाग, खसरा नंबर 532/439 रकबा 0.8903 हैक्टेयर में से 0.4451 हैक्टेयर उत्तरी भाग , खसरा नंबर 531/82 रकबा 1.4002 हैक्टेयर में से 0.7041 हैक्टेयर पूर्व भाग (पश्चिम में जगदीश के हक बंटवाड़ा से दक्षिण में 14 फीट भूमि रास्ते हेतु सहित) रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 2,3,4 कमश जयराम, छोटी देवी, इन्द्रा देवी के संयुक्त हक बंट में मौजा उवारी का खेत खसरा नंबर 389 रकबा 1.3703 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा गया है।

निर्णय आज दिनांक 08/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से री कर सरे इजलास सुनाया गया।

08/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner